

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 6579/ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-4293 दिनांक-01.07.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नालंदा जिलान्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची 'क' में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत गठित करती है तथा इसमें पड़ने वाले संक्रमणशील क्षेत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के सुसंगत प्रावधानों को लागू करती है:-

अनुसूची 'क'

1. ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

(क)	ग्राम का नाम	थाना सं0
	1. सबनहुआ	213
	2. रूपसपुर	215
	3. पोरई	214
	4. चेरन	218
	5. बस्ती	220
	6. श्रीचन्दपुर	219
	7. डिहरी	208
(ख)	चौहद्दी	ग्राम का नाम
	उत्तर	चेरो
	दक्षिण	मुढारी
	पूरब	दैली
	पश्चिम	सेवदह

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, हरनौत कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 6579 /न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-22/9/16

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 6579 /न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-22/9/16

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त,/जिला पदाधिकारी, नालंदा/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/9/2016

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 6579 /न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-22/9/16

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/9/2016

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 न0वि0/वि0-21/16 6579 /न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक-22/9/16

प्रतिलिपि:-नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं सचिव/सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/9/2016

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-5 न०वि०/वि०-21/16 अधिसूचना संख्या-6579 दिनांक- / का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department

No-5 न०वि०/वि०-21/16 /After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-4293 dated-01.07.2016 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) the State Government in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act constitute a Nagar Panchayat and in it, enforce the relevant provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 in the transitional areas falling within the boundary as described in the following schedule 'A' in the district-Nalanda:-

Schedule-A

1	<u>Name of villages and Thana Nos</u>	
(a)	<u>Name of Village</u>	<u>Thana No.</u>
	1. Sabnahua	213
	2. Rupuspur	215
	3. Poria	214
	4. Cheran	218
	5. Basti	220
	6. Srichandpur	219
	7. Dihri	208
(b)	<u>Boundary:-</u>	<u>Name of Village</u>
	North-	Chero
	South-	Mudhari
	East-	Daile
	West-	Sevdah
	This area will be called Nagar Panchayat, Harnaut	

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 6580

UD&HD

Dated:- 22/9/16

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

. Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 6580

UD&HD

Dated:- 22/9/16

Copy to All Departments/Departmental Heads/all Divisional Commissioner/all District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Nalanda/ Private Secretary to the Honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 6580

UD&HD

Dated:- 22/9/16

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Sonbhadra, Patna for information and necessary action.

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-5 न०वि०/वि०-21/16 6580

UD&HD

Dated:- 22/9/16

Copy to All Officers and Assistants, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department